



छत्तीसगढ़ भिलाई विधानसभा चुनाव 2008 के मतदान व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन

सलिता पटेल¹, डी. एन. सूर्यवंशी¹ और अलका मेश्राम²

¹एस.आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग, छ.ग., भारत

²शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़ ए छ.ग., भारत

Available online at: www.isca.in, www.isca.me

Received 25th January 2014, revised 15th February 2014, accepted 17th March 2014

Abstract

भारत में व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मतदान की व्यवस्था द्वारा कोई वर्ग या समाज का सदस्य राज्य की संसद या विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनने या किसी अधिकारी के निर्वाचन में अपनी इच्छा या किसी प्रस्ताव पर अपना निर्णय प्रकट कर सकता है। आधुनिक जनतंत्रों के मतदान के महत्व तथा उसकी प्रणाली के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। लोकतंत्र यह मानकर चलता है कि नागरिक संप्रभु है सरकार को बनाने में या बिगाड़ने में उसका प्रमुख हाथ है नागरिकों की यह स्वतंत्रता कई प्रकार से अभिव्यक्त होती है। मतदाता सरकार बनाने पर इसकी लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए समर्थन तो देती है, साथ ही उसके अनुचित कार्यों का भी विरोध करने की भी क्षमता रखते हैं और जन समर्थन खोने वाली सरकार को चुनावों के अवसर पर पराजय झेलना पड़ता है। इस देश में लोकसभा एवं विधानसभा के दस से भी अधिक चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत का मतदाता स्वतंत्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 एवं 326 के अनुसार प्रत्येक व्यस्क नागरिक को जो पागल या अपराधी ना हो मतदाता प्राप्त है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2008 में भाजपा एवं कांग्रेस में ही कड़ा मुकाबला था। भाजपा की छत्तीसगढ़ इकाई की रग से रग से वाकिफ सौदान सिंह ने चुनावी रणनीति बनाई, जिसके जरिये पार्टी को कड़े चुनावी मुकाबला में सफलता मिली। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के दक्षिणी हिस्से में भाजपा के जोरदार प्रदर्शन से उस सलवा जुड़ूम आंदोलन को मतदाताओं का समर्थन जाहिर हुआ जिसे रमन सरकार ने ताकत दी थी। राज्य की जनता ने 2008 के चुनाव को व्यक्तित्व के आधार पर आंकलन किया तो जोगी की तुलना में रमन सिंह कहीं ज्यादा भारी पड़ें जो चुनाव के नतीजे से साबित हो गया।

Keywords: छत्तीसगढ़ भिलाई, विधानसभा चुनाव, मतदान, तुलनात्मक, लोकतांत्रिक

प्रस्तावना

मतदान निर्णय लेने या विचार प्रकट करने की विधि है जिसके द्वारा कोई समूह विचार विनिमय या बहस के बाद कोई निर्णय ले पाते हैं। मतदान की व्यवस्था द्वारा कोई वर्ग या समाज का सदस्य राज्य की संसद या विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनने या किसी अधिकारी के निर्वाचन में अपनी इच्छा या किसी प्रस्ताव पर अपना निर्णय प्रकट कर सकता है। इस तरह से यह व्यवस्था सभी चुनावों या सभी संसदीय व्यवस्था या प्रत्यक्ष विधिनिर्माण में प्रयुक्त होता है। लोकतंत्र में मतदान को प्रमुख क्षेत्र या महत्व प्राप्त होता है।

लोकतंत्र में स्वतंत्र निर्णय और मतदान का महत्व

आधुनिक जनतंत्रों के मतदान के महत्व तथा उसकी प्रणाली के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इन सिद्धांतों के फलस्वरूप आवश्यकता के समय संघर्ष निवारण की सामाजिक प्रविधि के रूप में, शासन सत्ता के प्रति अनिवृत्ति प्राप्त करने के रूप में, ठीक परिस्थितियों में ठीक निर्णय प्राप्त करने की पद्धति के रूप में, सामाजिक आवश्यकताओं तथा असंतोषों को अनावृत्ति की व्यवस्था के रूप में तथा अल्पसंख्यकों को राज्य के लाभों से वंचित रखने की व्यवस्था से बचाने के ढंग के रूप में मतदान को मान्यता प्राप्त हुई है। सिद्धांत में लोकतंत्र नागरिकों या मतदाताओं का सरकार है। लोकतंत्र यह मानकर चलता है कि नागरिक संप्रभु है सरकार को बनाने में या बिगाड़ने में उसका प्रमुख हाथ है नागरिकों की यह स्वतंत्रता कई प्रकार से अभिव्यक्त होती है। भाषण, लेखन, सभा,

संगठन, आदि की स्वतंत्रता। इस तरह से लोकतंत्र विरोध और समर्थन की भूमिकाओं का समन्वय करने वाली सरकार है। मतदाता सरकार बनाने पर इसकी लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए समर्थन तो देती है, साथ ही उसके अनुचित कार्यों का भी विरोध करने की भी क्षमता रखते हैं और जन समर्थन खोने वाली सरकार को चुनावों के अवसर पर पराजय झेलना पड़ता है। भारत में व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस देश में लोकसभा एवं विधानसभा के दस से भी अधिक चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत का मतदाता स्वतंत्र है। उसने अपने मतदान का उपयोग सरकार को बनाने या बिगाड़ने में किया है।

मतदान व्यवहार से तात्पर्य

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली एक आधार स्तंभ है। चुनाव के समय कौन जीतेगा यह प्रश्न प्रत्येक जनता के विचार में आना स्वाभाविक बात है। चुनाव के दौरान धटित धटनाओं, अभियान, प्रचार, प्रत्याशी का व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, आदि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतदाता कई कारणों से चुनाव के समय प्रभावित होते हैं जैसे भूतकाल एवं वर्तमान के धटनाक्रम इत्यादि। मतदाता को निम्न कारण चुनाव के समय प्रत्याशी के चयन के लिए प्रभावित कर सकते हैं: 1. सार्वजनिक नीति के मुद्दे। 2. वर्तमान सरकार के प्रदर्शन का आंकलन। 3. प्रत्याशी के व्यक्तित्व गुणों का मूल्यांकन।

जब मतदाताओं के अतः मन में विचार आता है कि उन्हें किन्हें वोट देना चाहिए, कौन प्रत्याशी श्रेष्ठ है, कौन चुनाव के बाद अच्छा कार्य करेगा इत्यादि ये सारे बातें उपरोक्त तीन मुद्दों पर निर्भर करती है। मतदाता के विचार और झुकाव और कई सामान्य बातों से प्रभावित होते जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है: 1. पार्टी की पहचान। 2. सामान्य वैचारिक स्वभाव। 3. चुनावी गतिशीलता। 4. परिवार के वोट। 5. जाति गत वोट।

उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त व्यवहारिक कारकों में उम्मीदवारों की व्यक्तिगत विशेषताओं, सरकार के प्रदर्शन का मुल्यांकन, विशिष्ट नीतिगत मुद्दों पर झुकाव, पार्टी की पहचान और विचारधारा का

मुल्यांकन आदि उम्मीदवार के पसंद के प्राथमिक निर्धारक है। सामाजिक कारकों के लिए जाति, क्षेत्र, धर्म, सामाजिक वर्ग, लिंग, वैवाहिक स्थिति, उम्र इत्यादि पिछले कई दशकों से मतदान के परिणाम को प्रभावित करते रहे हैं।


छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम 2008

अधिसूचना दिनांक	31.10.2008
नामांकन की अंतिम तिथि	07.11.2008
नामांकन की जांच तिथि	08.11.2008
नाम वापसी की तिथि	10.11.2008
चुनाव की तारीख	14 एवं 20 नवंबर 2008
चुनाव परिणाम	8.12.2008

तालिका-1 भिलाई विधानसभा चुनाव 2008 के मुख्य बिन्दु

क्रं	प्रत्याशी का नाम	लिंग	वर्ग	पार्टी	प्राप्त मत	डॉक से प्राप्त मत	कुल प्राप्त मत	प्राप्त मतों का प्रतिशत
1.	श्री बदरुद्दीन कुरैशी	पु.	सामान्य	क्रांग्रेस	52812	36	52848	51.61
2.	श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय	पु.	सामान्य	भाजपा	43947	38	43985	42.95
3.	गौतम रामलाल	पु.	अनु. जाति	बसपा	1915	2	1917	1.87
4.	विनोद कुमार सोनी	पु.	सामान्य	सी पी आई	1195	1	1196	1.17
5.	लोकेश शर्मा	पु.	सामान्य	निर्दलीय	687	0	687	0.67
6.	जीवन लाल	पु.	अनु. जाति	निर्दलीय	527	0	527	0.51
7.	राजेन्द्र कुमार देवांगन	पु.	सामान्य	निर्दलीय	273	0	273	0.27
8.	श्याम लाल साहू	पु.	सामान्य	सी पी आई	246	0	246	0.24
9.	सुनील नरवारिहा	पु.	सामान्य	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी	243	0	243	0.24
10.	धीरेन्द्र प्रताप सिंह	पु.	सामान्य	लोक जन शक्ति पार्टी	217	0	217	0.21
11.	डॉ. संग्राम चद्र मजुमदार	पु.	सामान्य	भारतीय जन शक्ति	162	0	162	0.16
12.	डॉ. पंकज गोस्वामी	पु.	सामान्य	भारतीय रिपब्लिकन पार्टी	97	0	97	0.09

Statistical Report on General Election, 2008 to legislative assembly of chhattisgarh 10/1/2014



ग्राफ-1
भिलाई विधानसभा चुनाव परिणाम 2008

उपरोक्त सारिणी और रेखाचित्र से स्पष्ट है कि भिलाई विधानसभा चुनाव 2008 में मुख्य मुकाबला कांग्रेस एवं भाजपा के बीच ही था। श्री बदरुदीन कुरैशी को 52848 (51.61), श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय को 43985(42.95), गौतम रामलाल को 1917(1.87), विनोद कुमार सोनी को 1196 (1.17) लोकेश शर्मा 687 (0.67), जीवन लाल 527 (0.57), राजेन्द्र कुमार देवांगन 273 (0.27), श्याम लाल साहू 246(0.24), सुनील नरवारिहा 243 (0.24), धीरेन्द्र प्रताप सिंह 217 (0.21), डॉ. संग्राम चद्र मजुमदार 162 (0.16) एवं डॉ. पंकज गोस्वामी 97 (0.089) मत प्राप्त हुए थे। जिसमें श्री बदरुदीन कुरैशी विजयी घोषित किए गये लेकिन राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी का बनी।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ भिलाई विधानसभा चुनाव 2008 में मुख्य मुकाबला कांग्रेस एवं भाजपा के बीच ही था। इस चुनाव के परिणामों का विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि मुख्य मुकाबला श्री बदरुदीन कुरैशी एवं श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय के बीच ही था। मतदान के लिए कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया जिसमें से 05 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त किए गये। इस प्रकार 2008 के चुनाव में कुल 12 पुरुष प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। कुल मतदाताओं की संख्या 162778 थी जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 85724 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 77054 थी। इस विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदान 54186 लागों एवं महिला वर्ग में 48135 लागों ने मतदान किया एवं 114 वोट पोस्टल के द्वारा किया गया इस प्रकार कुल मतदान की संख्या 102435 थी। 37 पोस्टल मत को चुनाव अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया एवं कुल वैध मतपत्रों की

संख्या 102398 थी जो कुल मतदान का 62.93 प्रतिशत था। इस चुनाव के परिणामों का विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि मुख्य मुकाबला श्री बदरुदीन कुरैशी एवं श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय के बीच ही था। जिसमें विजयी श्री बदरुदीन कुरैशी ने हासिल किया परंतु राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।

संदर्भ ग्रंथ:

1. 8th January 2012<<http://www.hindi.webdunia.com/news/ele2008cg>> (2012)
2. 9th January 2012< <http://www.raftaar.in/election/chhattisgarh-election-2008.html>> (2012)
3. 11thJanuary2012<<http://www.google.co.in/search+chhattisgarh+vidhansabha+chunav+results/10/10/2012>> (2012)
4. 12thJanuary2012<<http://www.translate.google.co.in/bijugayy.blogspot.com/2010/12/election-and-voting-behavior.html>> (2012)
5. इंडिया टुडे, 34,4, 13-19, नवंबर, 2008, 14-15 (2008)
6. इंडिया टुडे, 23, 9, 18-24, दिसंबर, 2008, 18. (2008)
7. इंडिया टुडे, 23, 11,1-7, जनवरी, 2009, 13. (2009)
8. जैन, पुखराज, यूनीफाइड राजनीति विज्ञान: आगरा, साहित्य भवन, 1993, 143-177 (1993)
9. शर्मा, महादेवप्रसाद., कौशिक, पीताम्बरदत्त, माध्यमिक राजनीति शास्त्र: भोपाल, राम प्रसाद एण्ड संस, 1993, 200-223 (1993)